

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
लेन नं०-३, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, नथनपुर, देहरादून।**

संख्या /ल०सि०/स्था०-अधिनियम-23(1)/2019-20 दिनांक : २५ जून 2019
 :: कार्यालय आदेश ::

विभागाध्यक्ष स्तर से होने वाले स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) के अनुसार निम्न सहायक अभियन्ता को विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति दिनांक 11-06-2019 के आधार पर उनके नाम के समुख अंकित कॉलम-3 से कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में अनुरोध के आधार पर एतद्वारा निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	सहायक अभियन्ता का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री राकेश कुमार यादव	लघु सिंचाई उपखण्ड, बागेश्वर	लघु सिंचाई वृत्त, हल्द्वानी	धारा-17(1)(ख) (पाँच)

(2) स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई 2019 का वेतन उनके नवीन तैनाती कार्यालय से सम्बन्धित कोषागार से आहरित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22, 23(11) के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।

(4) अधिनियम की धारा-23(12) के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर अपने नवीन तैनाती कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(5) स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में दण्ड की कार्यवाही अधिनियम की धारा-24 के अनुसार की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

मुहम्मद उमर
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

क्रमांक—2

(2)

संख्या ५०८ /ल०सिं०/स्था०—अधिनियम-२३(१)/२०१९-२० दिनांक : उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री राकेश कुमार यादव, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को उक्तानुसार आदेश परिपालनार्थ।
2. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, बागेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, बागेश्वर/नैनीताल।
4. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
5. अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पिथौरागढ़/हल्द्वानी।
6. मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
7. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लघु सिंचाई को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9. व्यक्तिगत पत्रावली।
10. गार्ड फाईल।

(रविन्द्र श्रसाद)

स्टाफ ऑफिसर

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
लेन नं०-३, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, नथनपुर, देहरादून।

संख्या

/ल०सि०/स्था०-अधिनियम-23(1)/2019-20

दिनांक : २५ जून 2019

:: कार्यालय आदेश ::

विभागाध्यक्ष स्तर से होने वाले स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) के अनुसार निम्न कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता को विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति दिनांक 11-06-2019 के आधार पर उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कॉलम-3 से कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री सुनील कुमार गोयल	लघु सिंचाई उपखण्ड, हरिद्वार	लघु सिंचाई उपखण्ड, टिहरी	धारा-7(घ)(एक)

(2) स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई 2019 का वेतन उनके नवीन तैनाती कार्यालय से सम्बन्धित कोषागार से आहरित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22, 23(11) के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।

(4) अधिनियम की धारा-23(12) के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर अपने नवीन तैनाती कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(5) स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में दण्ड की कार्यवाही अधिनियम की धारा-24 के अनुसार की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

मुहम्मद उमर
 मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
 लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
 देहरादून।

संख्या ५०९ /ल०सि०/स्था०(अधिनियम-23)/2018-19 दिनांक : उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री सुनील कुमार गोयल, अपर सहायक अभियन्ता को उक्तानुसार आदेश परिपालनार्थ।
2. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, हरिद्वार/टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, हरिद्वार/टिहरी।
4. मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार/टिहरी।
5. वरिष्ठ / मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी।
6. अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, टिहरी।
7. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लघु सिंचाई को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9. व्यक्तिगत पत्रावली।
10. गार्ड फाईल।

(रविन्द्र प्रसाद)
 स्टाफ ऑफिसर,
 मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
 लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
 देहरादून।

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
लेन नं०-३, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, नथनपुर, देहरादून।**

संख्या

/ल०सि०/स्था०-अधिनियम-23(1)/2019-20

दिनांक : 25 जून 2019

कार्यालय आदेश ::

विभागाध्यक्ष स्तर से होने वाले स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) के अनुसार निम्न कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता को विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति दिनांक 11-06-2019 के आधार पर उनके नाम के समुख अंकित कॉलम-3 से कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा अनुरोध के आधार पर निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री अमित कुमार पाल	विकासखण्ड गैरसैण (चमोली)	विकासखण्ड थौलधार (टिहरी)	धारा-17(1) (ख)(चार)
2	श्री सतीश कुमार गुप्ता	विकासखण्ड जयहरीखाल (गढ़वाल)	लघु सिंचाई उपखण्ड, हरिद्वार	धारा-17(1) (ख)(पाँच)

(2) स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई का वेतन उनके नवीन तैनाती कार्यालय से सम्बन्धित कोषागार से आहरित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22, 23(11) के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।

(4) अधिनियम की धारा-23(12) के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर अपने नवीन तैनाती कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(5) स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में दण्ड की कार्यवाही अधिनियम की धारा-24 के अनुसार की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

मुहम्मद उमर

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

संख्या ५१० /ल०सि०/स्था०-अधिनियम-23(1)/2019-20 दिनांक : उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता को उक्तानुसार आदेश परिपालनार्थ।
2. खण्ड विकास अधिकारी, जयहरीखाल(गढ़वाल)/गैरसैण(चमोली)/थौलधार(टिहरी)।
3. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, कोटद्वार/हरिद्वार/कर्णप्रयाग/टिहरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, चमोली/टिहरी/पौड़ी/हरिद्वार।
5. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली/टिहरी/पौड़ी/हरिद्वार।
6. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, चमोली/टिहरी/पौड़ी/हरिद्वार।
7. अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पौड़ी/टिहरी।
8. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लघु सिंचाई को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
10. व्यक्तिगत पत्रावली।
11. गार्ड फाईल।

(रविन्द्र प्रसाद)

स्टाफ आफिसर,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
लेन नं०-३, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, नथनपुर, देहरादून।

संख्या

/ल०सि०/स्था०-अधिनियम-23(1)/2019-20

दिनांक : १५ जून 2019

:: कार्यालय आदेश ::

विभागाध्यक्ष स्तर से होने वाले स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) के अनुसार निम्न अपर सहायक अभियन्ता को विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति दिनांक 11-06-2019 के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-3 से कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं	कनिष्ठ अभियन्ता का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री सोनू कुमार	लघु सिंचाई उपखण्ड, चकराता (देहरादून)	विकासखण्ड सहसपुर (देहरादून)	धारा-17(1) (ग) (तीन)

(2) स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई 2019 का वेतन उनके नवीन तैनाती कार्यालय से सम्बन्धित कोषागार से आहरित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22, 23(11) के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता का होगा।

(4) अधिनियम की धारा-23(12) के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर अपने नवीन तैनाती कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(5) स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में दण्ड की कार्यवाही अधिनियम की धारा-24 के अनुसार की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

मुहम्मद उमर

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या ५१।

/ल०सि०/स्था०-अधिनियम-23(1)/2019-20 दिनांक : उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. श्री सोनू कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई को उक्तानुसार आदेश परिपालनार्थ।
2. खण्ड विकास अधिकारी, चकराता / सहसपुर।
3. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई चकराता / देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून।
5. मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
6. वरिष्ठ / मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, टिहरी।
8. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लघु सिंचाई को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
10. व्यक्तिगत पत्रावली।
11. गार्ड फाईल।

(रविन्द्र प्रसाद)

स्टाफ ऑफिसर,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
लेन नं ०-३, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, नथनपुर, देहरादून।

संख्या

/ल०सि०/स्था०-अधिनियम-२३(१)/२०१९-२०

दिनांक : २५, जून २०१९

कार्यालय आदेश ::

विभागाध्यक्ष स्तर से होने वाले स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) के अनुसार निम्न प्रशासनिक अधिकारी को विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति दिनांक 11-06-2019 के आधार पर उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कॉलम-३ से कॉलम-४ में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में निमानुसार स्थानान्तरित किया जाता है—

क्र० सं०	प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री सतीश कुमार	लघु सिंचाई खण्ड, पौड़ी	लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून	धारा-17(1)(ग) (तीन)

(2) स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई 2019 का वेतन उनके नवीन तैनाती कार्यालय से सम्बन्धित कोषागार से आहरित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22, 23(11) के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।

(4) अधिनियम की धारा-23(12) के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर अपने नवीन तैनाती कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(5) स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में दण्ड की कार्यवाही अधिनियम की धारा-24 के अनुसार की जायेगी।


यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

मुहम्मद उमर
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या ५१२ /ल०सि०/स्था०-अधिनियम-२३(१)/२०१९-२० दिनांक : उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री सतीश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी को उक्तानुसार आदेश परिपालनार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, पौड़ी / देहरादून।
3. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, पौड़ी / देहरादून।
4. अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पौड़ी / ठिहरी।
5. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लघु सिंचाई को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।


(रविन्द्र प्रसाद)

स्टाफ ऑफिसर,
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।